उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक 574........../रा0

प्रेषक,

उपायुक्त,
रामगढ़।

सेवा में,

मुख्य अधिशासी पदाधिकारी,
छावनी परिषद्, रामगढ़।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, रामगढ़।

रामगढ़, दिनांक 27 / 03 /2020

विषय : **छावनी परिषद्/नगर परिषद् स्तर पर रिसपोन्स टीम का गठन करने एवं वार्ड स्तरीय Quarantine Center खोलने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिले में कोरोना वाइरस COVID-19 के संक्रमण के फैलाव, इलाज एवं रोक–थाम हेतु रिसपोन्स टीम का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है:–

छावनी परिषद् स्तर पर रिसपोन्स टीम।

नोडल पदाधिकारी	अध्यक्ष	सदस्य सचिव	सदस्य	कर्तव्य
मुख्य अधिशासी पदाधिकारी, छावनी परिषद्, रामगढ़	वार्ड सदस्य	सेनेटरी इन्सपेक्टर	1.आंगनबाड़ी सेविका/ सहायिका, 2.शिक्षक	1. विदेश/राज्य के बाहर से यथा–कोलकत्ता, महाराष्ट्र, दिल्ली, चेन्नई, केरल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब या किसी अन्य राज्य से वापस आ रहे लोगों को कम से कम 14 दिनों तक अपने घर में ही रहने की विनती करना और जानकारी प्रेषित करना कि इस दौरान वे अपने घर के सदस्यों से भी पर्याप्त दूरी बना के रहेंगे। 2. वार्ड स्तर पर रिसपोन्स टीम का गठन एवं प्रत्येक दिन टीम से जानकारी प्राप्त करना तथा उनका तत्काल क्षमतानुसार समाधान करना। 3. सुयोग्य भवन चिन्हित कर वार्ड स्तरीय Quarantine Center बनाना। 4. वार्ड स्तरीय Quarantine Center को सुचारू रूप से संचालन एवं आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। 5. नियंत्रण हेतु एम्बुलेन्स/ममता वाहन एवं माल वाहकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 6. आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता एवं बाजार में मूल्यों की लगातार निगरानी। 7. अगर ऐसे किसी व्यक्ति में कोरोना का लक्षण की जानकारी मिलती है, तो तुरन्त

				वार्ड में बने Quarantine केन्द्र में उसे शिफ्ट करना तथा उसके सैम्पल जाँच के लिए राँची / नजदीकी जाँच केन्द्र भेजना। 8. वार्डवार व्यक्तियों के स्वास्थ की समीक्षा करना तथा आवश्यकताओं के संबंध में जिला कन्ट्रोल रूम को तत्काल अवगत कराना। 9. अद्योहस्ताक्षरी के अन्य आदेशों का पालन करना।

नगर परिषद् स्तर पर रिसपोन्स टीम।

नोडल पदाधिकारी	अध्यक्ष	सदस्य सचिव	सदस्य	कर्तव्य
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, रामगढ़।	वार्ड सदस्य	सिटी मैनेजर	1. आंगनबाड़ी सेविका / सहायिका, 2. शिक्षक	1. विदेश / राज्य के बाहर से यथा–कोलकत्ता, महाराष्ट्र, दिल्ली, चेन्नई, केरल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब या किसी अन्य राज्य से वापस आ रहे लोगों को कम से कम 14 दिनों तक अपने घर में ही रहने की विनती करना और जानकारी प्रेषित करना कि इस दौरान वे अपने घर के सदस्यों से भी पर्याप्त दूरी बना के रहेंगे। 2. वार्ड स्तर पर रिसपोन्स टीम का गठन एवं प्रत्येक दिन टीम से जानकारी प्राप्त करना तथा उनका तत्काल क्षमतानुसार समाधान करना। 3. सुयोग्य भवन चिन्हित कर वार्ड स्तरीय Quarantine Center बनाना। 4. वार्ड स्तरीय Quarantine Center को सुचारू रूप से संचालन एवं आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। 5. नियंत्रण हेतु एम्बुलेन्स / ममता वाहन एवं माल वाहकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 6. आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता एवं बाजार में मूल्यों की लगातार निगरानी। 7. अगर ऐसे किसी व्यक्ति में कोरोना का लक्षण की जानकारी मिलती है, तो तुरन्त वार्ड में बने Quarantine केन्द्र में उसे शिफ्ट करना तथा उसके सैम्पल जाँच के लिए राँची / नजदीकी जाँच केन्द्र भेजना। 8. वार्डवार व्यक्तियों के स्वास्थ की समीक्षा करना तथा आवश्यकताओं के संबंध में जिला कन्ट्रोल रूम को तत्काल अवगत कराना। 9. अद्योहस्ताक्षरी के अन्य आदेशों का पालन करना।

साथ ही यह भी निदेश दिया जाता है कि आपके वार्ड में Quarantine Center के रूप में चिन्हित सामुदायिक भवन / सरकारी भवन / निजी भवन / चिकित्सा भवन आदि में कम से कम एक कमरा को चिन्हित करते हुए चिन्हित कमरा के मुख्य द्वार पर कोरोना Quarantine Center का बोर्ड लगाएंगे एवं प्रत्येक कमरे के संगत अलग–अलग बाथरूम का साफ–सफाई (सेनेटाइज) करते हुए Stand by mode में तैयार रखना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में Government of India, Ministry of Health & Family Welfare,

Directorate General of Health Services (EMR Division) के Guidelines (संलग्न है) तथा सरकार के प्रधान सचिव, स्वास्थ, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 163 दिनांक 25.03.2020 के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

उपायुक्त,
रामगढ़।

ज्ञापांक 574 /रा0, रामगढ़, दिनांक 27 / 03 /2020

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, रामगढ़/अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित मुख्य अधिशासी पदाधिकारी, छावनी परिषद्, रामगढ़ तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, रामगढ़ से समन्वय स्थापित करते हुए चिन्हित Quarantine Center से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़/पतरातू/माण्डु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/03/2020

उपायुक्त,
रामगढ़।